



F-07-08
F-07-11

सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र
CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION

IS/ISO: 9001:2008

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन
DEFENCE R&D ORGANISATION
भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF DEFENCE
मारत्तहल्ली कालोनी पोस्ट, बेंगलूरु – 560 037
MARATHAHALLI COLONY P.O
BENGALURU – 560 037

वर्ग अनुमोदन सं.: 995 का संशोधन सहित नवीकरण /

Amendment cum Renewal of Type Approval No.: 995

विषय / Sub: एथिलीन प्रोपीलीन डाइन मोनोमर (ईपीडीएम) रबड़ कॉम्पाउंड /
Ethylene Propylene Diene Monomer (EPDM) Rubber Compound

यह घोषित किया जाता है कि विनिर्देश एचएम 4927 के लिए मेसर्स हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, फाउंड्री व फोर्ज प्रभाग, बेंगलूरु- 560 017, द्वारा विकसित तथा उत्पादित "एथिलीन प्रोपीलीन डाइन मोनोमर (ईपीडीएम) रबड़ कॉम्पाउंड" को संदर्भ सं.: सेमिलैक/5070/टीए-995, दिनांक 30 मई 2003, द्वारा वर्ग अनुमोदन सं.: 995 जारी किया गया था। तदुपरांत संदर्भ सं.: सेमिलैक/5070/टीए-995/3आर दिनांक 24 जनवरी 2013 द्वारा नवीकरण किया गया था, जिसकी वैधता 31 दिसंबर 2017 तक था।

This is to state that the "Ethylene Propylene Diene Monomer (EPDM) Rubber Compound" to the specification HM 4927, developed and manufactured by M/s Hindustan Aeronautics Limited, Foundry and Forge Division, Bengaluru – 560 017, has been issued with Type Approval No.: 995, vide Reference No.: CEMILAC /5070/TA-995, dated: 30th May 2003. Subsequently it was renewed vide Reference No.: CEMILAC/5070/TA-995 /3R, dated: 24th January 2013, with validity up to 31st December 2017.

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि इस वर्ग अनुमोदन का नवीकरण 01 जनवरी 2018 से संतोषजनक निष्पादन फीडबैक के आधार पर किया जाता है तथा 31 दिसंबर 2022 तक वैध है। विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अवधि समाप्त होने के तीन (03) महीने पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए निष्पादन फीडबैक, उत्पादित मात्रा, अगर कोई अस्वीकरण है तो उसे और उसके कारण को सम्मिलित करते हुए सभी संलग्न दस्तावेजों के साथ आर.सी.एम.ए (एफ एंड एफ-एफ ओ एल), सेमिलैक, डीआरडीओ, द्वारा एचएएल (एफ एंड एफ) प्रभाग, बेंगलूरु – 560 017, से अनुरोध करना होगा।

This is to certify that the Type Approval is hereby renewed w.e.f. 01st January 2018 based on the satisfactory performance feedback and is valid up to 31st December 2022. For subsequent renewal, the vendor shall request RCMA (F&F-FOL), CEMILAC, DRDO, C/o Hindustan Aeronautics Limited, (F & F) Division, Bengaluru-560 017 three (03) months before the expiry of Type Approval with all relevant documents including user's performance feedback, quantity produced & rejection, if any, and its cause.

3. संदर्भ सं.: सेमिलैक/5070/टीए-995, दिनांक 30 मई 2003 द्वारा जारी मूल वर्ग अनुमोदन प्रमाणपत्र के अनुच्छेद पाँच (05) निम्नलिखित संशोधन लागू है।

The Para five (05) of original Type Approval Certificate vide Reference No.: CEMILAC/5070/TA-995, dated: 30th May 2003 is amended as stated herewith.

“[अगर इस टाइप रिकॉर्ड के एसओपी और घोषित निष्पादन में कोई परिवर्तन करना हो तो सेना उडनयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र (सेमिलैक), बेंगलूरु - 560 037 की पूर्व सहमति लेनी होगी। यह वर्ग अनुमोदन किसी अन्य अभिकरण को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है।”

“[Prior concurrence of Centre for Military Airworthiness & Certification (CEMILAC), Bengaluru - 560 037, is to be obtained to adopt any changes in the SOP and in the declared performance indicated in the Type Record. The Type Approval is not at all transferable to any other agency]”.

4. प्रारंभिक वर्ग अनुमोदन प्रमाणपत्र / पत्र में अनुबद्ध अन्य सभी शर्तें वही रहेंगी और पूर्णतः लागू होंगी।

All other conditions stipulated in the initial type approval certificate / letter remain unaltered, and fully applicable.

सं / .No.: सेमिलैक / CEMILAC/5070/टी.ए/TA-995/4R

दिनांक / Date : 31 January 2018

फैक्स सं / .Fax No: 080-25230856

Gouda

(गंतायत गौड़ वै.'जी'/G. Gouda, Sc. 'G')
स्थानामन्त्र मुख्य कार्यपालक(उडनयोग्यता)
Offg.Chief Executive (Airworthiness)

K.R.